



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-04082026-275142
CG-UP-E-04082026-275142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4128]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 03, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4128]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 03, 2026/SHRAVAN 12, 1948

रेल मंत्रालय

उत्तर मध्य रेलवे/निर्माण विभाग

अधिसूचना

प्रयागराज, 25 जून, 2026

का.आ. 4304(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के जिले अलवर में विशेष रेल परियोजना अर्थात् आगरा फोर्ट -बांदीकुई रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (150किमी.) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) दौसा राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अननुज्ञात कर सकेगा उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची				
राजस्थान राज्य में आगरा फोर्ट-बांदीकुई के मध्य दोहरीकरण रेल परियोजना के लिए अलवर जिले के रेणी तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।				
क्रम. सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट सं.	रेलवे द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे०)
1	2	3	4	5
1	रैणी	अखोदा मीना	42	0.0005
2	रैणी	अखोदा मीना	135	0.0162
3	रैणी	अखोदा मीना	43	0.0090
4	रैणी	अखोदा मीना	134	0.0500
5	रैणी	अखोदा मीना	109/2629	0.0100
6	रैणी	अखोदा मीना	125	0.0548
7	रैणी	अखोदा मीना	133	0.7400
8	रैणी	अखोदा मीना	126	0.1254
9	रैणी	अखोदा मीना	127	0.0573
10	रैणी	अखोदा मीना	128	0.0238
11	रैणी	अखोदा मीना	129	0.0151
12	रैणी	अखोदा मीना	130	0.1168
13	रैणी	अखोदा मीना	131	0.2442
14	रैणी	अखोदा मीना	132	0.0227
15	रैणी	अखोदा मीना	134/2586	0.0200
16	रैणी	अखोदा मीना	133/2485	0.0100
		कुल		1.5158

[फा. सं. एनसीआर-एचक्यूथूथ्यूसीईएनजी(एलएएनडी)/6/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ इंजी./कन्स्ट्रक्शन-एक/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या: 114142)]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 25th June, 2026

S.O. 4304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Agra Fort - Bandikui doubling Railway project (150 km) in the district of Alwar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **(District Dausa)** Rajsthan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE				
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely Agra Fort – Bandikui in District of Alwar, Tehsil- Reni the state of Rajasthan.				
S.N.	Tehsil Name	Village name	Plot No.	Acquired Area (HEC.)
1	2	3	4	5
1	Raini	Akoda Mina	42	0.0005
2	Raini	Akoda Mina	135	0.0162
3	Raini	Akoda Mina	43	0.0090
4	Raini	Akoda Mina	134	0.0500
5	Raini	Akoda Mina	109/2629	0.0100
6	Raini	Akoda Mina	125	0.0548
7	Raini	Akoda Mina	133	0.7400
8	Raini	Akoda Mina	126	0.1254
9	Raini	Akoda Mina	127	0.0573
10	Raini	Akoda Mina	128	0.0238
11	Raini	Akoda Mina	129	0.0151

12	Raini	Akoda Mina	130	0.1168
13	Raini	Akoda Mina	131	0.2442
14	Raini	Akoda Mina	132	0.0227
15	Raini	Akoda Mina	134/2586	0.0200
16	Raini	Akoda Mina	133/2485	0.0100
		Total		1.5158

[E- F. No. NCR- HQ0CENG (LAND)/6/2024-O/o Dy. CE/C-I/AGC (Computer No. 114142)]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer/Const.